(1200/CP/RU)

1201 बजे

लोक सभा बारह बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत् हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर-2, डॉ. जितेन्द्र सिंह।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) क्षेत्रीय जैव-प्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय जैव-प्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) गृह कल्याण सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) गृह कल्याण सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लिकेशन सेंटर, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लिकेशन सेंटर, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) केंद्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) भारतीय राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र, वास्को-डी-गामा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र, वास्को-डी-गामा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) बीरबल साहनी पुरविज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी पुरविज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) इंडियन एसोशिएशन फॉर दि कल्टिवेशन ऑफ साइन्स, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोशिएशन फॉर दि कल्टिवेशन ऑफ साइन्स, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) भारतीय ताराभौतिकी संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय ताराभौतिकी संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, नवी मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, नवी मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) रमण अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमण अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन एंड रीच, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन एंड रीच, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, इलाहाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, इलाहाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) टेक्नोलॉजी इनफॉरमेशन, फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी इनफॉरमेशन, फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बेंगलुरू के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बेंगलुरू के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) इंडियन वैक्सिंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुरूग्राम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंडियन वैक्सिंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुरूग्राम का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेकॉन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) केआईओसीएल लिमिटेड, बेंगलूरू के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केआईओसीएल लिमिटेड, बेंगलूरू का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड.) (एक) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

(दो) इस्पात मंत्रालय तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

(तीन) मेकॉन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

(चार) इस्पात मंत्रालय तथा एनएमडीसी लिमिटेड के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

(पांच) एमओआईएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री अश्विनी कुमार चौबे की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती का तरीका, नियुक्ति की प्रक्रिया,पदावधि, त्यागपत्र और हटाया जाना) (संशोधन) नियम, 2022, जो 15 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 704(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत, विधिक मापविज्ञान (पैकेज्ड कोमोडिटीज) (संशोधन) नियम, 2022, जो 30 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 859(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) 36वीं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) 36वीं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केंद्र, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केंद्र, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.3722(अ) जो 8 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए मैसर्स कर्नाटक स्टेट मिनरल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केएसएमसीएल) को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ.4038(अ) जो 29 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के

प्रयोजनों के लिए 'कैटगरी ए एक्सप्लोरेशन एजेंसी' के अंतर्गत मैसर्स माहेश्वरी माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ.4596(अ) जो 29 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए 'कैटगरी 'ए' एक्सप्लोरेशन एजेंसी' के अंतर्गत मैसर्स जियो एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग साल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड, 'कैटगरी 'बी' एक्सप्लोरेशन एजेंसी' के अंतर्गत मैसर्स जियो मैरिन साल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड तथा 'कैटगरी 'ए' एक्सप्लोरेशन एजेंसी' के अंतर्गत मैसर्स इकोमेन लैबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड अधिसूचित किए गए हैं।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नालको लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नालको लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड.) (एक) इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) एनएलसी इंडिया लिमिटेड, चेन्नई और उसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएलसी इंडिया लिमिटेड, चेन्नई और उसकी अनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(झ) (एक) कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता और उसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी अनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) (एक) रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(7) (एक) रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, साध्वी निरंजन ज्योति जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा केंद्रीय भण्डारण निगम के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भंडारण विकास तथा विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भंडारण विकास तथा विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन – संघ सरकार-राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर-माल और सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) (2022 का संख्यांक 14) - सबका विश्वास (लीगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन) योजना 2019 ।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (रेल) - (2022 का संख्यांक 22) - 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय रेल में डिरेलमेंट निष्पादन लेखापरीक्षा।

(3) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (रेल) - (2022 का संख्यांक 23) - रेल वित्त।

(4) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - (2022 का संख्यांक 25) खंड-एक - (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

(5) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - (रक्षा सेवाएं) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (2022 का संख्यांक 28) (निष्पादन लेखापरीक्षा) – डीआरडीओ में मिशन मोड परियोजनाओं का प्रबंधन और परिणाम।

(6) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार – राजस्व विभाग –प्रत्यक्ष कर - (2022 का संख्यांक 29)।

(7) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - (2022 का संख्यांक 30) – (राजस्व विभाग – सीमाशुल्क) (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

(8) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - (2022 का संख्यांक 31) (वित्त लेखापरीक्षा) – वर्ष 2020-2021 के लिए संघ सरकार के लेखे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I beg to lay on the Table:-

1. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Federation of Indian Export Organisations, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

   (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Federation of Indian Export Organisations, New Delhi, for the year 2021-2022.

2. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Services Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

   (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Services Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2021-2022.

3. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sports Goods Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2021-2022, 17 alongwith Audited Accounts.

   (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sports Goods Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2021-2022.

4. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Council for Leather Exports, Chennai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

   (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Council for Leather Exports, Chennai, for the year 2021-2022.

5. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Diamond Institute, Surat, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

   (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Diamond Institute, Surat, for the year 2021-2022.

6. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Marine Products Export Development Authority, Kochi, for the year 2021- 2022, alongwith Audited Accounts.

   (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Marine Products Export Development Authority, Kochi, for the year 2021-2022.

7. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gem & Jewellery Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

   (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Gem & Jewellery Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2021-2022.

8. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the EEPC 18 India, Kolkata, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

   (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the EEPC India, Kolkata, for the year 2021-2022.

9. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) the Spices Board India, Kochi, for the year 2021-2022.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Spices Board India, Kochi, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Spices Board India, Kochi, for the year 2021- 2022.

10. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) the Rubber Board, Kottayam, for the year 2021-2022.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Rubber Board, Kottayam, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rubber Board, Kottayam, for the year 2021- 2022.

11. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) the Coffee Board, Bengaluru, for the year 2021-2022.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Coffee Board, Bengaluru, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Coffee Board, Bengaluru, for the year 2021- 2022.

12. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) the Tea Board India, Kolkata, for the year 2021-2022. 19

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tea Board India, Kolkata, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tea Board India, Kolkata, for the year 2021- 2022.

(13) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the ECGC Limited, Mumbai, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the ECGC Limited, Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Notification No. S.O.4720(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 4th October, 2022 making certain amendments in the first Schedule of the Information Technology Act, 2000, under sub-section(5) of Section 1 of the said Act.

(2) A copy of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2022 (Hindi and English versions), published in Notification No. G.S.R.794(E) in Gazette of India dated 28th October, 2022, under sub-section (2) of Section 87 of the Information Technology Act, 2000.

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Digital India Corporation, New Delhi, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the Digital India Corporation, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the 20 Comptroller and Auditor General thereon.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export Promotion Council for Handicrafts, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export Promotion Council for Handicrafts, New Delhi, for the year 2021-2022.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wool & Woollens Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wool & Woollens Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2021-2022.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Powerloom Development & Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Powerloom Development & Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2021-2022.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sardar Vallabhbhai Patel International School of Textiles and Management, Coimbatore, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sardar Vallabhbhai Patel International School of Textiles and Management, Coimbatore, for the year 2021-2022.

(5) A copy of the Notification No. S.O.4904E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 17th October, 2022

seeking to reconstitute the National Jute Board for a period of two years with effect from 29th September, 2022 comprising Chairman, Members and Member Secretary, mentioned therein, under sub-section 4(b) of Section 3 of the National Jute Board Act, 2008.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Carpet Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Carpet Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2021-2022.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Handloom Export Promotion Council, Chennai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Handloom Export Promotion Council, Chennai, for the year 2021-2022.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2021-2022.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Apparel Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Apparel Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2021-2022.

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wool Industry Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wool Industry Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2021-2022.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Cotton Textiles Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cotton Textiles Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2021-2022.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): Sir, I beg to lay on the Table:-

1. A copy of the Notification No. S.O.5282(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 14th November, 2022 seeking to exempt Indian Space Research Organisation from the operation of all the provisions of the Explosives Rule, 2008, issued under sub-section (2) of Section 14 of the Explosives Act, 1884.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust, New Delhi, for the year 2021-2022.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust, New Delhi, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust, New Delhi, for the year 2021-2022.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Quality Council of India, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Quality Council of India, New Delhi, for the year 2021-2022.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Productivity Council, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Productivity Council, New Delhi, for the year 2021-2022.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Design, Bhopal, for the years 2019-2020 and 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Design, Bhopal, for the years 2019-2020 and 2020-2021.

(6) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Design, Andhra Pradesh, for the years 2019-2020 and 2020-2021.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Design, Andhra Pradesh, for the years 2019-2020 and 2020-2021, together with Audit Report thereon.

(8) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(9) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Design, Assam, for the years 2019-2020 and 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(10) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Design, Haryana, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Design, Haryana, for the year 2019-2020.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

(13) A copy of the Notification No. S.O.4091(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 1st September, 2022 establishing a Development Council for Pulp, Paper and Allied Industries and appoint persons (mentioned therein) to be the members of the said Council, for a period of two years from the date of publication of this Order, issued under Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

(14) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited, Srinagar, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited, Srinagar, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH CHAUHAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. F.No. RG-1/2/(2)/2022-B AND CS(2) in Gazette of India dated 22nd November, 2022, under Section 37 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Development of Telematics, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Development of Telematics, New Delhi, for the year 2021-2022.

(3) A copy of the Indian Telegraph Right of Way (Amendment) Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.635(E) in Gazette of India dated 18th August, 2022, under sub-section (5) of Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885.

(4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Telecommunications Consultants India Limited, New Delhi, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the Telecommunications Consultants India Limited, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the ITI Limited, Bengaluru, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the ITI Limited, Bengaluru, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the Mahanagar Telecom Nigam Limited, New Delhi, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the Mahanagar Telecom Nigam Limited, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d)(i) Review by the Government of the working of the Bharat Broadband Network Limited, New Delhi, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the Bharat Broadband Network Limited, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(e) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Sanchar Nigam Limited, New Delhi, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the Bharat Sanchar Nigam Limited, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): Sir, I beg to lay on the Table:

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial) (No. 27 of 2022)-General Purpose Financial Reports of Central Public Sector Enterprises (Compliance Audit) for the year ended 31st March, 2021.

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial) (No. 33 of 2022)- Compliance Audit Observations for the year ended 31st March, 2021.

(2) A copy of the Public Enterprises Survey – Annual Report on the Performance of Central Public Sector Enterprises (Hindi and English versions), for the year 2021-2022.

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति
15वां से 18वां प्रतिवेदन

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

(1) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से संबंधित 'केनरा बैंक में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में समिति (2022-23) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में समिति (2022-23) का सोलहवां प्रतिवेदन।

(3) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति (2022-23) का सत्रहवां प्रतिवेदन।

(4) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'बीएसएनएल और एमटीएनएल में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति (2022-23) का अठारहवां प्रतिवेदन।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति
99वां से 101वां प्रतिवेदन

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति (2022-23) का 99वां, 100वां और 101वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1205/SM/NK)

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
18th Report

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg present the Eighteenth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on External Affairs (Seventeenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Ninth Report of the Committee on the subject 'India and International Law including Extradition Treaties with foreign countries, asylum issues, international cyber-security and issues of financial crimes'.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति
17वां प्रतिवेदन

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): महोदय, मैं 'सीबीजी (सतत) के कार्यान्वयन की समीक्षा' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सत्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
38th Report

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to present the Thirty-eighth Report of the Business Advisory Committee.

माननीय अध्यक्ष: बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में भी बता दो न।

… (<u>व्यवधान</u>)

ग्रामीण विकास संबधी स्थायी समिति के 48वें, दूसरे, छठे और 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कपिल मोरेश्वर पाटील): महोदय, मैं श्री गिरिराज सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(4) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के पंद्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जब गिरिराज सिंह जी का नाम है तो आप बोलें कि गिरिराज सिंह जी के बिहाफ पर बोल रहे हैं।

पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कपिल मोरेश्वर पाटील): सर, मैने लेटर लिख कर दिया था।

माननीय अध्यक्ष: लेटर नहीं, बोलते समय आप बोलें कि मैं गिरिराज सिंह जी के बिहाफ पर बोल रहा हूं।

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 24TH AND 35TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir, in pursuance of Direction 73A of Directions by the Speaker, Lok Sabha, I, on behalf of Shri Ashwini Vaishnaw, beg to lay the following statements regarding:-

(1) The status of implementation of the recommendations contained in the 24th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Ministry of Electronics and Information Technology.

(2) The status of implementation of the Recommendations contained in the 35th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on Demands for Grants (2022-2023) pertaining to the Ministry of Electronics and Information Technology.

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): महोदय, मैं इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, साध्वी निरंजन ज्योति की ओर मैं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 169TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON COMMERCE - LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 169th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the 161st Report of the Committee on 'Review of the Intellectual Property Rights Regime in India' pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry.

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1214 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि व्यक्तिगत रूप से अपने विषय सभा पटल पर रखने की इजाजत दी जाती है।

Re: Construction of 'Ram Gaman Marg' from Ayodhya to Chitrakoot

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा): एन.एच. खंड प्रयागराज द्वारा अयोध्या से चित्रकूट धाम तक राम वनगमन मार्ग (फोर लाइन) का प्रस्ताव स्वीकृत है। उक्त मार्ग अयोध्या से श्रंगवेरपुर, मंझनपुर (कौशांबी) होते हुये चित्रकूट धाम (उ.प्र.) जहां भगवान श्रीराम 12 वर्षों तक वनवासी के जीवन व्यतीत किए है, जहां लाखों की संख्या पर श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का आवागमन रहता है| मा. प्रधानमंत्री एवं मा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री द्वारा श्री राम वनगमन मार्ग बनाने शिलान्यास किया जा चुका है| किन्तु श्री राम वनगमन मार्ग (फोर लाइन) का निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं कराया गया है|

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि अयोध्या से श्रंगवेरपुर, मंझनपुर (कौशांबी) होते हुये श्रीराम जी तपोस्थली चित्रकूट (उ.प्र.) तक राम वनगमन मार्ग का निर्माण जल्द से जल्द चालू कराने का कष्ट करें|

(इति)

Re: Need to recognise the services of Lt. Baneshwar Rai, the Azad Hind Fauz soldier and provide adequate Government benefits to his family

श्री संजय सेठ (राँची): हमारा देश आजादी का अमृत काल मना रहा है। इस अमृत काल में हमने स्वतंत्रता संग्राम में सहभागिता निभाने वाले हर व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है। मैं ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिन्हें अब तक की सरकारों ने सम्मान नहीं दिया।

देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व मेरे लोकसभा क्षेत्र रांची में हुए आजाद हिंद फौज के लेफ्टिनेंट बाणेश्वर राय हैं । उन्होंने आजाद हिंद फौज की इंटेलिजेंस विंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ऐसे समर्पित और बलिदानी देशभक्त का परिवार सरकार द्वारा की जाने वाली सभी सुविधाओं से वंचित है। ना ही उन्हें जमीन मिली है, ना ही किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता मिली। आज उनके परिवार के पास रहने तक के लिए घर नहीं है। आजादी के इतने साल बाद भी उन्हें सरकारी सुविधा नहीं दी गई।

मेरा आग्रह है कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले भारत मां के ऐसे सपूत को न्याय दिया जाए। आजादी के अमृत काल में ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का डेटाबेस तैयार हो। भारत सरकार उनकी समीक्षा कर, उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराए।

(इति)

Re: Development of roads from Sibsagar to Sonari and Namtola to Sapekhati in Assam as National Highways

SHRI TOPON KUMAR GOGOI (JORHAT): It is the matter of great concern that two State roads in Assam i.e. one from Sibsagar to Sonari and another from Namtola to Sapekhati, have been declared by Govt. of India as National Highways and numbered as NH No. 702 and NH No. 702(C). These proposed National Highways i.e. NH No. 702C from Sibsagar to Sonari, proposed length 46.10 km and NH No. 702 from Namtola to Sapekhati (Chariali), proposed length 24.28 KM belong to my constituency. Alignment proposal of the proposed National Highways have been submitted to MoRTH. There is a big demand from the people of my constituency and people all over Assam, the people of North East specially people of Nagaland that the construction work of these roads as National Highways be started immediately as per NH norms so that the above stretches of roads be declared National Highways and people start using the National Highways.

I urge the Minister of Road Transport and National Highways to take urgent measures so that the road should be built as per National Highways norms and the people of Assam, Nagaland and North East can avail the smooth and hassle free journey by the National Highway Nos. NH-702 & NH No.-702C.

(ends)

Re: Need to restore concessions in railway ticket fare to senior citizens and to general public travelling in the special trains introduced during Covid-19 Pandemic

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। वैश्विक महामारी कोविड-19 के पूर्व वरिष्ठ नागरिक रियायतों (Senior citizen Concession) के तहत वरिष्ठ नागरिकों में 58 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को 50% एवं 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों तथा पुरुष ट्रांसजेंडर सभी वर्गों में 40% का छूट ट्रेन यात्रा के दौरान टिकट आरक्षण का लाभ उन्हें मिलता था, जो रेलवे बोर्ड द्वारा बंद कर दिया गया है। यह ज्ञातव्य है कि लगभग ढाई-तीन वर्षों के बाद अब जब सभी चीजों के साथ धीरे-धीरे जीवन सामान्य हो रहा है। लेकिन रेलवे बोर्ड द्वारा अभी तक वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली ट्रेन यात्रा में रियायतों की सुविधा को पुनः बहाल नहीं किया गया है। देशभर के वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा उक्त सुविधा को पुनः बहाल करने की मांग की जा रही है। आज जो युवा है भविष्य में वह बुजुर्ग होंगे तथा आज के जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं उन्होंने अपनी सेवा देश एवं समाज के लिए दी है तथा वे अनुभवी भी हैं उनके अनुभव से देश को फायदा होगा। इसलिए उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह कोविड-19 के दौरान देश भर की सभी ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन घोषित किया गया था जिससे कोविड-19 स्पेशल ट्रेन के टाइम को रेलवे बोर्ड द्वारा हटा लिया गया है। परंतु पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों से अभी भी स्पेशल ट्रेन का किराया लिया जा रहा है जबकि पैसेंजर ट्रेनों में अधिकांशतः गरीब, मजदूर, आदिवासी, पिछड़े ही ज्यादा यात्रा करते हैं।

अतः माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए देश हित में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी उक्त आदेशों को रद्द करते हुए वरिष्ठ नागरिक रियायतों को पुनः लागू करने एवं पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों से स्पेशल ट्रेन के किराए में छूट देने की कृपा करेंगे।

(इति)

Re: Need to accord approval for development of roads as National Highways in Pali Parliamentary constituency

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): देश के यशस्वी प्रधानमंत्रीजी के मार्गदर्शन एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व में देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं सड़कों का जाल बिछ रहा है।

मेरे संसदीय क्षेत्र पाली में भी आपने पूर्व में अनेक सौगातें देकर संसदीय क्षेत्र के लोगों को अनुग्रहित किया है। इसके लिए मैं और मेरे संसदीय क्षेत्रवासी आपके हमेशा आभारी रहेंगे।

मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र पाली से संबंधित उन सात सड़क मार्गों की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूँगा कि इन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित करने हेतु घोषणा हो चुकी है और सैद्धान्तिक रूप से मंजूरी भी दी जा चुकी है एवं इनकी एलाइनमेंट रिर्पोट भी बनकर तैयार है। अब सिर्फ अंतिम स्वीकृति होनी शेष है। ये सड़कें निम्नलिखित है-

1. सोयला औसियां -तिंवरी- बालेसर 126 कि.मी. रोड
2. खारिया में NH-25 से रणसी-बोरुन्दा-गोटन होते हुए NH-58 तक (105 कि.मी. रोड़)
3. देसुरी से-सादड़ी-सेवाडी - पिंडवाडा तक (लगभग 90 कि.मी. रोड़)
4. NH-62 पर रोहट से आहोर NH 325 तक (82 कि.मी. रोड़)
5. मारवाड़ जंक्शन -कामलीघाट (50 कि.मी. रोड़)
6. सोजत-सिरियारी- देसुरी (93 कि.मी. रोड़)
7. सांडेराव-बाली-सादड़ी (43 कि.मी. रोड़)

मैं आशा करता हूं कि पूर्व की भांति आप इन अतिमहत्वपूर्ण सड़क मार्गों पर भी सहृदयता पूर्वक कार्यवाही करते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र के आमजन को ये सभी सौगात देंगे।

(इति)

Re: Enquiry of a private compnay by a Central team for causing environmental pollution in Jharsuguda district in the Bargarh Parliamentary constituency

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): I would like to bring to your kind notice that Jharsuguda District in Bargarh Lok Sabha Constituency is facing the consequences of enormous environmental pollution mainly due to emission of greenhouse gases and faulty methods of fly-ash disposal by Industries. As per regulation, the fly ash should be disposed of in lowlands such as landfills for dry ash and in safe ponds for wet ash. It has been strictly forbidden to use agricultural land for ash disposal. It has also been forbidden to transport the ashes in open vehicles to prevent aerial dust circulation. These norms are being constantly violated by a pravate company in Jharsuguda causing serious health problems. Further, the heaps of ashes deposited as ash hills on open plain land get washed into the water resources contaminating the water and the animals in water such as fishes through which they enter the food chain. The ash is contaminating the crop fields severely hampering crop production and causing health hazards including damage to the male reproductive system and cancer. This is due to the high exposure of the population to the toxic constituents in the fly-ash such as Lead Cadmium, Mercury, Chromium, Arsenic, Molybdenum, Thallium, Silica etc.

The Hon'ble Minister of Environment, Forest & Climate Change had directed the Central Pollution Control Board to cause enquiry which in turn directed the State Pollution Control Board to do so and the State Board gave a clean chit to the private Company without proper enquiry.

This was proved from the fact that the Green Tribunal, Eastern Zone, Kolkata on more than one occasion including one on 06.05,2022 vide an order in Original Application No-10/2021/E Z found the Company guilty and imposed a fine of Rupees One Crore with a direction to the State Pollution Board to regularly monitor it.

I, therefore, request the Hon'ble Minister to cause an enquiry by a Central Team comprising Environmental experts, take stern action against the erring Company.

(ends)

Re: Irregularities in implementation of 'Har Ghar Nal se Jal' scheme in Chhattisgarh

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): मैं छत्तीसगढ़ की एक अति आवश्यक मांग माननीय जल शक्ति मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के इच्छा अनुरूप केन्द्र सरकार की अग्रणी योजना जल ग्रहण मिशन के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जल ग्रहण मिशन के अंतर्गत टेण्डर जारी किए गए, किन्तु टेंडर में अनियमितता के आरोप लगने पर जारी टेंडर को निरस्त कर पुनः टेंडर किए गए, जिस कारण से छत्तीसगढ़ राज्य हर घर नल से जल योजना में लगभग एक वर्ष पीछे हो गया है। अनेक गांव में पानी की पाईप लाईन बिछाई गई है, किन्तु पानी की टंकी का निर्माण ही नहीं किया गया एवं पाईप लाईन में उपयोग की गई सामाग्री की गुणवत्ता केन्द्र सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है। कार्य में स्थायित्व नहीं होने के कारण से पाईपलाईन बिछाने एवं पानी टंकी निर्माण का कार्य विलंब से चल रहा है, जिसके कारण से छत्तीसगढ़ के निवासियों को पानी समय पर मिल पाना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि केन्द्र की उक्त योजना का छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में उचित दिशा निर्देश जारी किये जाने का कष्ट करेंगे।

(इति)

Re: Demand for Autonomous States

SHRI HOREN SING BEY (AUTONOMOUS DISTRICT): I wish to be informed about the issue that has rocked the hill areas of Assam during the past 35 years. The Union Government has been trying to find solutions by signing 3 political accords in a span of 25 years, the first in 1995 and then in 2011 and 2021. As most of the provisions of the accords remain to be implemented, it is not possible to make assessment whether the accords would resolve the political problems posed by the demand for Autonomous State in accordance with Art 244 (A) of the Constitution. Now that the Union Government is holding talks with the leaders of Eastern Nagaland and also with Kamtapur State demand groups, the voices of the long standing demand of Autonomous State are also being heard again in Karbi Anglong and Dima Hasao. As the accords are failing in their objectives, I appeal to the Government to reconsider the issue of Autonomous State demand afresh by holding talks with the concerned Autonomous Councils and other stake-holders.

(ends)

Re: Environmental clearance to the Upper Jonk Irrigation Project in Nuapada district, Odisha

श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहाण्डी): मेरे संसदीय क्षेत्र में दोनों जिले कालाहांडी और नुआपड़ा आकांक्षी जिले हैं। इन जिलों में साल दर साल अकाल रहता है। नुआपड़ा जिले में अपर जोंक सिंचाई परियोजना नामक सिचाई हेतु डैम मौजूद है। इसका निर्माण वर्ष 1995 में हुआ है और इसकी ऊंचाई 354.4 मी० रखी गई है, परंतु वज मंजूरी न मिलने के कारण अभी 350.4 मी० तक ही इस डैम मे पानी रखा जाता है। फिलहाल इस परियोजना से खरीफ के मौसम में 9000 हे० और रबी के मौसम में 3500 हे० जमीन की ही सिंचाई की जाती है। यदि 4 मी. अधिक पानी इस डैम में रखने की अनुमति मिल जाए तो करीब 2000 हे० अधिक जमीन में रबी की फसलों में सिंचाई की जा सकती है। इस परियोजना की वन मंजूरी के लिए ओडिशा ने केंद्र सरकार को आवेदन किया हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बाबत आदेश पारित किया हुआ है।

अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि किसानों के हित एवं विकास को ध्यान में रखते हुए ओडिशा राज्य के नुआपड़ा जिले के अंतर्गत "अपर जोंक सिंचाई परियोजना" को पिछले 27 वर्षों से लंबित वन मंजूरी देने का निर्देश दें। इससे मेरे क्षेत्र के गरीब किसानों को सीधे-तौर पर लाभ मिलेगा।

(इति)

Re: Better railway connectivity to Balaghat and Seoni districts in Madhya Pradesh

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): मेरे संसदीय क्षेत्र बालाघाट में बालाघाट और सिवनी जिले आते हैं। आमान परिवर्तन के बाद केवल छोटी दूरी की गाड़ी चलाई जा रही है। चिकित्सा शिक्षा एवं व्यापार के लिए जबलपुर, नागपुर, रायपुर तथा बिलासपुर सहित राजधानी भोपाल, दिल्ली जाने के लिए कोई सीधी रेल सुविधा नहीं है और नैनपुर-सिवनी-छिंदवाड़ा के बीच सी. आर. एस. के बाद भी रेल नहीं चलाये जाने से यात्रियों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। जबलपुर-नैनपुर-सिवनी-छिंदवाड़ा होकर नागपुर/आमला और जबलपुर-नैनपुर-गोंदिया होकर नागपुर / बल्लारशाह के रास्ते दक्षिण के लिए रायपुर- बिलासपुर के लिए लंबी दूरी की यात्री गाड़ी चलाई जाये जो उत्तर दक्षिण भारत को जोड़ने वाला कम दूरी का सीधा मार्ग होंगा।

इन रेलमार्गों की उपयोगिता इससे सिद्ध हो रही है कि ब्रॉडगेज कन्वर्जन के बाद से ही इन रूटों पर मालगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ हो चुका है। बालाघाट से जबलपुर एवं गोंदिया की ओर 20 से अधिक मालगाड़ियां एवं सिवनी में लगातार रैक लग रही है, जिससे रेलवे को आय प्राप्त होने लगी है।

वर्तमान में यह रेलमार्ग सिंगल लाईन हैं। भविष्य में मालगाड़ी एवं सवारी गाड़ियों की संख्या बढ़ने से इन रूटों पर दोहरीकरण की आवश्यकता महसूस होने लगी है। इसलिए अनुरोध है कि जबलपुर-गोंदिया-नागभीर जंक्शन एवं नैनपुर से छिंदवाड़ा एवं छिंदवाड़ा-नागपुर/आमला जंक्शन सिंगल लाईन का दोहरीकरण किया जाये।

(इति)

Re: Construction of Roads in the Union territory of Ladakh

SHRI JAMYANG TSERING NAMGYAL (LADAKH): The Union territory of Ladakh bordering with China and Pakistan is strategically very important for India having war experiences of 1948, 1962, 1965, 1971, 1999 and the Galwan conflict of 2020. Some more option after commendable works on Nimo-Padum-Darcha Road including tunnel at Shinkun La and Zojila to give better, shorter, and economically more feasible roads and tunnels need to be considered on priority to keep our border well secured.

I, therefore, make the following demand for road construction:

1. Construction of 45 km Paddar-Padum Road 'Kishtward-Atholi-Maichil-Soomchan-Zongkhul' or 80 km Road 'Kishtward-Atholi-Maichil-Dangail-PotLa-Bardan' to connect Ladakh with Jammu. This will be the shortest route between Northern Command and Pathankot Airforce/Military station to Ladakh as it will reduce the distance by about 150 km. This route being shortest was also followed by the legendary Dogra General Zorawar Singh during his conquests of Ladakh and eastern Tibet in 1830s.

2.Construction of Udaipur-Padum Road from Mayard Valley of Lahaul via Khanjar-Zardong-Kesar-KangLa-Padum or Khanjar-Shangkha-Thangso-Kargyak near Shinkunla Zanskar.

3.Construction of 100 km Road from Korzok-Kiato to connect Leh-Karzok-Kiato-Kaza-Kinour-Chandigarh will be an all-weather connectivity without any tunnel.

These roads can also help to connect Paddar and Chenab valleys of J&K and Mayard and Spiti valleys and help in creating economic potential along with other advantages.

(ends)

Re: Provision of service line on Delhi-Mumbai N.H. in Dausa Parliamentary constituency, Rajasthan

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा (राजस्थान) के अधिकतर क्षेत्र से दिल्ली-मुंबई नेशनल हाईवे गुजर रहा है। यह कार्य भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। किन्तु क्षेत्र के निवासियों को बाधाएं भी उत्पन्न हुई हैं। बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र के नागरिकों को सर्विस एरिया दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस एन. एच. से जयपुर को जोड़े जाने के काम में भी प्रगति से कार्य चल रहा है। जयपुर जाने वाले स्थान पर बांदीकुई क्षेत्र के सैंकड़ों छोटे-बड़े गांवों को जयपुर जाने के लिए और अपने खेती-बाड़ी के कामों से जयपुर को जोड़ने वाले बिंदु पर सर्विस लाइन देना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में सैंकड़ों गांवों के नागरिक आंदोलनार्थ रुख अपनाते हुए धरने पर बैठे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि जिन किसानों ने सहर्ष अपनी कृषि भूमि परियोजना को समर्पित की, उनको आवागमन में सुगमता प्रदान करने हेतु जयपुर से जुड़ने वाले स्थान पर सर्विस लाइन देने की कृपा करें ताकि मेरे क्षेत्र के वासी इस महत्वपूर्ण हाईवे का लाभ लेते हुए परियोजना पर गर्व कर सकें एवं गांवों को विकास का अहसास व अपने क्षेत्र की उन्नति का सुख महसूस हो सके। (इति)

Re: Need to construct a National Highway from Rajakhera in Dholpur district to Etawah in Uttar Pradesh

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर का धौलपुर जिला राजस्थान के पूर्वी छोर पर स्थित है और यह एक ओर मध्य प्रदेश एवं एक ओर उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है। धौलपुर जिला में लालसोठ जिला दौसा से धौलपुर तक और भरतपुर से धौलपुर तक दो नेशनल हाईवे विकसित होने से इस जिले के विकास को काफी गति मिली है। परन्तु धौलपुर जिले का राजाखेड़ा उपखण्ड सडक मार्गों की दृष्टि से अत्यधिक पिछडा हुआ है। धौलपुर जिला मुख्यालय पर समाप्त हो रहे उपरोक्त दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास धौलपुर से आगे राजाखेड़ा से होता हुआ उत्तर प्रदेश में पिनाहट, भदरौली तथा वाह से होता हुआ इटावा तक करने से ना सिर्फ धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र बल्कि इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के उक्त क्षेत्र को भी एक राष्ट्रीय राजमार्ग से जुडने से विकास का अवसर प्राप्त होगा जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के धौलपुर जिले से राजाखेड़ा होते हुए उत्तर प्रदेश में पिनाहट भदरौली वाह से इटावा तक के लिए सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा कर अनुगृहीत करें। (इति)

Re: Need to deploy units of Army and Central Police forces in border areas of Araria, Bihar to steps up vigil on cross border smuggling

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया): अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर अपनी बात रखूंगा वो हमारे संसदीय क्षेत्र अररिया की सुरक्षा के साथ साथ आसपास के जिलों की सुरक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है।

हमारा संसदीय क्षेत्र अररिया (बिहार) भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है, उत्तर की ओर जहां नेपाल और चीन का बार्डर है वहीं पूरब में बांग्लादेश का बार्डर पड़ता है। लिहाजा सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह अति महत्वपूर्ण हो जाता है। नेपाल की तरफ से होने वाली अवैध व अतिसंवेदनशील सामानों की तस्करी व घुसपैठ को रोकने हेतु उत्तर दिशा में कई जगहों पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों की टीम तैनात की गई है। लेकिन पूरब दिशा यानि बांगलादेश बॉर्डर की ओर से होने वाली अवैध व अतिसंवेदनशील समानों की तस्करी व घुसपैठ को रोकने हेतु कोई सुनिश्चित व्यवस्था न होने के कारण अररिया की जनता असुरक्षित महसूस करती है, साथ ही साथ सुरक्षा में चूक होने की वजह से अररिया के रास्ते आसपास के जिलों में धड़ल्ले से नशीले पदार्थों का व्यापार किया जा रहा है। नशे की लत में हमारे जिले के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है।

अतः माननीय गृहमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वो अररिया, जोकीहाट में आर्मी, बीएसएफ व केंद्रीय पुलिस बल की एक टुकड़ी की तैनाती हेतु स्वीकृति प्रदान करें। धन्यवाद।

(इति)

Re: Development of Tourism in Kanniyakumari district

SHRI VIJAYKUMAR *ALIAS* VIJAY VASANTH (KANYAKUMARI): Kanniyakumari district, which falls in my parliamentary Constituency is one of the most beautiful areas gifted by mother nature. Lush greenery surrounded by mountains on one side and sea on the other, has lot of destinations which attracts lakhs of tourists every year. But, I would like to admit that still there are lot of untapped potential for tourism. If developed, Kanniyakumari district will turn out to be a top tourist destination in the world map.

Lack of transport for the people visiting the southern tip of India is a matter of concern. An airport at Kanniyakumari will bring in more tourists who want to visit Kanniyakumari. The trains to my Constituency are minimal and hence people find it tiresome to reach destination. I request the concerned ministries to pay special attention towards Kanniyakumari district in this regard.

Further, Kanniyakumari has lot of temples, churches and mosques. There needs to be a holistic development of the surrounding areas which would attract more pilgrimes tourists to this district.

During the Maha Sivaratri, devotees from all over the State visit all the 12 Shiva shrines in Kaninyakumari district. Pilgrims who visit our district make a point to visit these temples. These temples need to be well connected for people to be able to go from one temple to another. I request the Hon'ble Minister of Tourism to include this project under the PRASAD scheme for better connectivity and development of areas surrounding the temple.

We have beautiful beaches, if maintained, can be turned into world class destinations. With water falls and dams, it's a perfect picturesque location which would generate lot of revenue for the Government as well as promote local employment. It's a perfect spot for adventure tourism. Hence, I urge upon the Government to allot special funds under various tourism promotion schemes to develop Kanniyakumari district into a world class tourist destination.

I request the Government to build a statue of our ex CM Shri Kamarajar in the similar lines of Sardar Patel Statue of Unity and this also would add to the tourist attraction.

Hence, I request the Government to do all it can to develop anniyakumari district in terms of tourism.

(ends)

Re: Need to construct Dalli Rajhara-Jagdalpur-Rowghat railway line in Chhattisgarh

श्री दीपक बैज (बस्तर): दल्लीराजहरा-जगदलपुर-रावघाट रेल लाइन निर्माण की मांग कई दशक पुरानी है। इस परियोजना के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति 1993 में योजना आयोग से मिली। 2011 में इस रेल खण्ड का निर्माण प्रारंभ हुआ, इसके बनने से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जिला बस्तर के अंतर्गत नारायणपुर, कोंडागांव एवं जगदलपुर सहित विभिन्न कस्बे सीधे जुड जाएंगे, इससे लाखों लोगों को जगदलपुर से रायपुर आवागमन में मात्र 3 से 4 घंटे लगेंगे।

इस रेल खण्ड के निर्माण के अभाव में रायपुर पहुंचने के लिए यात्रियों को वाया विशाखपटनम् या झरसूगुडा होते हुए रायपुर पहुंचने में 15 से 16 घंटे लगते हैं जबकि यही दूरी बस द्वारा 4 से 5 घंटे में पूरी हो जाती है और उक्त रेल खण्ड बनने पर ट्रेन से यात्रा करने पर रायपुर पहुंचने में 3 से 4 घंटे ही लगेंगे। खेद की बात है कि इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, यह अत्यंत चिंता की बात है।

केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि अविलम्ब दल्लीराजहरा-जगदलपुर-रावघाट रेल लाइन निर्माण पूर्ण कराया जाए जिससे स्थानीय नागरिक रेल मार्ग से रायपुर कम समय में पहुंच सकें।

(इति)

Re: Increase in use of banned narcotics substance in Kerala

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I would like to know if the Honourable Minister of Home Affairs is aware of the alarming increase in usage of narcotics and narcotics-related cases in Kerala. During 2019-2021, the annual-average of cases was 6409, which has jumped to 16128 cases this year, just until August; similarly for arrests it has increased from 7693 to 17834. In September, Keralites were shocked when 652 drug-cases were registered within 4 days. Further, manufactured-psychotropic-substances are becoming more prevalent than less harmful drugs.

Most of the drug-supply originates in large cities outside the State and is distributed through organised networks using, inter-alia, clandestine freight-transport, courier-services and, worryingly, Malayali-students based outside the State. Instances of international-transactions through the Dark Web are also not infrequent. Data reveals that substance-abuse has increased among Keralas' teenagers and students in the past 5 years. At the same time, the persons availing benefits under the National Action Plan for Drug Demand Reduction in the State has declined from 6642 in 2017-18 to 4887 in 2021-22.

Whilst a "No-to-Drugs" awareness-campaign has been initiated in the State to counter this situation, I urge upon the Hon'ble Minister to monitor the situation in co-operation with the State and inform the House of the measures being taken to eradicate the production and distribution of banned narcotic-substances.

(ends)

Re: Establishment of a National Small Crops Research Centre in Perambalur Parliamentary constituency

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): My Perambalur Parliamentary Constituency and Perambalur District is a backward area in Tamil Nadu. Almost 70% of the people are agriculturist and are cultivating various small crops like, ragi, maize, corn and millets apart from rice, sugarcane, peanuts. Many farmers' income and their livelihood are totally dependent upon the income arising out of selling these small crops harvested from their agricultural fields. But, they are not getting enough/good yield by cultivating the so-called small crops.

In view of the above, a Research Centre on small crops needs to be set up at my Parliamentary Constituency at Perambalur which is also District Headquarter for the welfare of the farmers and its neighbouring areas to boost and improve the yield of small crops and to uplift the life of farmers.

Hence, I urge upon the Union Government to take necessary action to establish a National Small Crops Research Centre at Perambalur at the earliest.

(ends)

Re: Inclusion of Rajaka Community of Andhra Pradesh into Scheduled Caste Category

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): The Washermen Community in the Country is being called as, Dhobis, Rajajkas, Chakali, etc. Though the nomenclature differs from State to State, these community people are mainly engaged in washing clothes.

In Andhra Pradesh this community people are called Rajakas, who traditionally are engaged in washing clothes and in view of their backwardness still they have not been equally treated.

There has been a demand for inclusion of Rajaka Community in Andhra Pradesh into the Scheduled Caste Category. Though the case has already been recommended by the Government of Andhra Pradesh long back, no action has been taken so far to fulfil the aspirations of this downtrodden community.

In most of the major Indian States like Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh and Odisha, this community has already been included into the Scheduled Caste Category. So, there is a feeling that Rajakas from Andhra Pradesh are being discriminated by not including their community into Scheduled Caste category as their brethren in other States are getting benefit of SC status.

I, therefore, request the Government through Hon'ble Minister of Social Justice and Empowerment to consider their request for inclusion of their community in the Scheduled Caste Category without any further delay for upliftment from OBC to Scheduled Caste Category. (ends)

Re: Establishment of an Agricultural Disaster Compensation Fund

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY (NANDYAL): Every year, States in particular, face at least one severe flood which wipes out a significant portion of the farmers' crop. Given that agriculture is an important sector for these states, sustained losses in their primary mode of livelihood year after year, pushes farmers to the brink. In 2021, due to heavy floods, a large quantum of chillies was lost in Telangana and Andhra Pradesh, farmer suicides rose and the debt cycle also increased.

Additionally, the cost of agricultural inputs is on the rise. Amongst others, fuel prices have hit an all-time high and fertilizer black marketing has become extremely common. Farmers are consistently pushed into further debt with no assurance of any profits.

Special circumstances of disasters are becoming a recurrent feature, rather than an exception. In order to make the process of compensation, with a delineated chain of command, easier and more structured, as well as a right, an Agricultural Disaster Compensation Fund needs to be established at the earliest.

(ends)

Re: Installation of Solar Submersible Water Pumps in Bardhaman Purba Parliamentary constituency

SHRI SUNIL KUMAR MONDAL (BARDHAMAN PURBA): I want to draw the kind attention of the Minister of Agriculture and Farmers Welfare with regards to installation of solar submersible water pump in my Parliamentary constituency in West Bengal.

Farmers are facing difficulties in paying electricity bill of submersible pump. In this regard, I have decided to install Solar Submersible Water Pump for irrigation to make farming and irrigation easier in my Constituency because in Kalna, Katwa, Memari, Purbosthali North, Purbosthali South, Raina and Jamalpur, 75% to 85% people belongs to SC, ST & OBC community and the area is fully agriculturists. Further, no industries are there and agriculture is their only source of income to survive. In the above Constituency, solar irrigation pump is needed to be installed under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna (PMKSY).

This decision can bring happiness and progress in farmer's life and can make them self dependent. Hence, it is requested to kindly permit and provide information in detail that how much subsidy could be given by the Government on installation of Solar Submersible Water Pump for irrigation. I therefore, request the Hon'ble Minister to take up immediate and necessary step in this regard. (ends)

Re: Creation of Indian Medical Administrative Service Cadre

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): I wish to raise the issue of formation of Indian Medical Administrative Service cadre. The huge and herculean task of managing health needs of 1.4 billion people needs participation of doctors in Medical administration at National level. So many years of Independence signifies lack of inputs from doctors who can understand and provide adequate and prompt solution to the Government on all health related aspects through key health policies. So formation of Indian Medical Administration service cadre or Indian Medical Service Cadre is the need of the hour.

(ends)

Re: Need to increase the income limit of beneficiaries under the National Food Security Act, 2013

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में 8 वर्ष पहले अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जा रहा है। 75% ग्रामीण और 50% शहरी गरीब आबादी इस लैंडमार्क अधिनियम के तहत अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार है। इसके अधिनियम के बाद से लाभार्थियों की पात्रता के लिए आय सीमा 8 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी। अब इसके लागू होने के 8 साल बाद हर घर की आमदनी के साथ-साथ रहने का खर्च भी काफी बढ़ गया है। इस प्रकार, इस योजना के लाभार्थी अपनी वास्तविक आय को छुपा रहे हैं और इस अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करना जारी रखे हुए हैं।

पिछले 8 वर्षों के दौरान हर घर की आय और रहने की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया इसके तहत लाभार्थियों की आय सीमा बढ़ाने पर विचार करें और उचित कार्यवाही करें।

(इति)

Re: Return of deposits to the people who have invested in Sahara India Group

श्री महाबली सिंह (काराकाट): मैं सरकार का ध्यान सहारा इंडिया समूह में निवेशको का पैसा भुगतान करने के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूँ|

देश के करोड़ों गरीब मजदूर किसानों ने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से बचत कर अपने भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहारा इंडिया समूह में पैसा निवेश किया था लेकिन विगत 5 वर्षों से मैच्योर होने के बाद भी गरीबों का रुपया भुगतान नहीं किया जा रहा है, न बचत खाते में राशि लौटाई जा रही है। पैसे के कारण देश में इलाज नहीं होने के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और कितने गरीब लोगों की बेटियों की सगाई रुक गई एव कितने लोगो ने आत्महत्या कर ली | इसके कारण देशभर में सहारा समूह के कर्मचारियों एवं निवेशको ने आंदोलन किया, इसमें निवेश करने वाले सभी ग्रामीण क्षेत्र के गरीब किसान मजदूर है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि लगभग 25,781.37 करोड़ रुपया जो मजदूर गरीब किसान का पैसा जमा है, उसे अविलंब भुगतान कराया जाए |

(इति)

Re: Grant of increased pension to EPF Pensioners

ADV. A. M. ARIFF (ALAPPUZHA): EPF Pensioners have been denied their right for increased pension proportionate to the salary even after the favourable Supreme Court judgment on 04.11.2022. The Supreme Court has limited the benefit of higher pension proportionate to salary above Rs. 15,000 only for those employees who are members of the EPF Scheme as on September 2014, still it would be beneficial to a large number of employees. Even after a month of delivering the judgment, the EPF Organization has not taken any steps for issuing the operational guidelines to implement the scheme. As the condition for additional contribution at the rate of 1.16 per cent on salary has been invalidated by the Supreme Court on the ground that it is ultra vires the EPF and Miscellaneous Provisions Act, 1954, EPFO needs to clarify the alternative mechanism for the payment of higher pension. As the employees who had not exercised their option have been given four months-time to submit their option for higher pension, modalities for the same have to be worked out.

So, I urge upon the Government to intervene in the matter and provide relief to the eligible employees of EPFO without further delay and uphold the Supreme Court judgment.

(ends)

Re: Skilling of women construction workers

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): The construction sector has the largest number of unorganised labourers in India next only to the agricultural sector. Women form half of its workforce. Women join as Chitals or unskilled workers and remain unskilled throughout their working life span. However, men get training and systematically upgrade their construction skills. Studies reveal that informal women workers in India's construction sector earn 30-40 per cent less than their male counterparts. Women have the same potential like men to do masonry work. But Chitals are denied promotional opportunities in the construction sector. It is my submission to the Government that women construction workers be equipped with market-relevant skills to bridge the learning-to-livelihood gap and the gender pay-gap especially through the institutions like the Skill India Mission. Necessary legislation may be enacted to make it mandatory for the contractors to offer informal training to women construction workers in Government sites and employ certain percentage of women masons in all sites. I also urge that an institutional mechanism be established by Government for skill formation, and upskilling of women construction workers. These positive steps will enhance the resource potential among women construction workers and empower them leading to the growth of families and the advancement of our nation.

(ends)

वित्त अधिनियम की आठवीं अनुसूची में संशोधन के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मेरी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी की ओर से मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :-

"वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना सं. 25/2022-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, दिनांक 31 अगस्त, 2022 [सा.का.नि. 671(अ) दिनांक 31 अगस्त, 2022] का एतदद्वारा अनुमोदन करती है जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में संशोधन करना है ताकि विमानन टरबाइन ईंधन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को संशोधित किया जा सके।"

(1210/SK/KKD)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना सं. 25/2022-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, दिनांक 31 अगस्त, 2022 [सा.का.नि. 671(अ) दिनांक 31 अगस्त, 2022] का एतदद्वारा अनुमोदन करती है जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में संशोधन करना है ताकि विमानन टरबाइन ईंधन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को संशोधित किया जा सके।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय अध्यक्ष जी, मेरी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं निम्नलिखत संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

"कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8(1) के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना सं. 49/2022-सीमा-शुल्क, दिनांक 8 सितंबर, 2022 [सा.का.नि. 689(अ) दिनांक 8 सितंबर, 2022] का एतदद्वारा अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है ताकि चावल की विनिर्दिष्ट क़िस्मों पर निर्यात शुल्क उद्ग्रहीत किया जा सके। "

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8(1) के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना सं. 49/2022-सीमा-शुल्क, दिनांक 8 सितंबर, 2022 [सा.का.नि. 689(अ) दिनांक 8 सितंबर, 2022] का एतदद्वारा अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है ताकि चावल की विनिर्दिष्ट क़िस्मों पर निर्यात शुल्क उद्ग्रहीत किया जा सके।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आइटम नं. 28, नियम 193 के अधीन चर्चा।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, हम सुबह से मांग करते आ रहे हैं। हमारी मांग चीन के मुद्दे पर चर्चा करना है। शुरू के दिन से ही सारा विपक्ष एक-साथ चाहता है कि इस पर चर्चा हो। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नियम 193 के अधीन अभी चर्चा होनी है।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): बाहर टीवी में चर्चा होती है, हर फोरम में चर्चा होती है लेकिन सदन में चर्चा नहीं होती है। यह ताज्जुब की बात है। हम चाहते हैं कि कम से कम विपक्ष की मांग पर चर्चा का मौका देना चाहिए। … (व्यवधान)

हमें चर्चा का मौका देना चाहिए। यह हमारा अधिकार है। हमारे देश की सुरक्षा की बात है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

…(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

माननीय अध्यक्ष: एन.के. प्रेमचन्द्रन जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उनको बोलने का कोई मौका नहीं दिया गया है, केवल प्रेमचन्द्रन जी बोलेंगे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उनको बोलने का मौका नहीं दिया है और आपको भी नहीं दिया है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सदन में चर्चा करें। महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है और ब सदस्यों की सहमति से चर्चा कराई गई है।

… (व्यवधान)

1211 बजे

(इस समय श्रीमती सोनिया गांधी, श्री अधीर रंजन चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रेमचन्द्रन जी, आप चर्चा शुरू करें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका सुझाव अच्छा है। आप औरों को भी सलाह दें।

… (व्यवधान)

देश में मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या के बारे में चर्चा - जारी

1212 hours

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, please start.

… (*Interruptions*)

1212 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the issue of abuse of drugs and its impact on our society … (*Interruptions*)

Hon. Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me the time to speak on the Discussion under Rule 193. First of all, I take this opportunity to express thanks to the hon. Speaker for converting the Calling Attention into a Discussion under Rule 193 considering the importance and significance of this subject: 'Drug abuse in the country and steps taken by the government thereon.' The drug abuse and its impact on the Indian society." Not only on the Indian society, it is a menace globally to the whole humanity.

Sir, you may kindly see that drug abuse is a menace to the society, and pierces deep into the structure of our society. It is rapidly moving amongst the adoloscents and youth; and our further generation is under threat.

Sir, I have a Report of 2017 on 'Global Burden of Disease' . It says that 7.5 lakh people have died because of drug abuse in the year 2020; and out of this, 22,000 people in India have died in the year 2020 because of drug abuse. This is the gravity of the situation. This is such a pathetic situation prevailing in our country. … (*Interruptions*)

Sir, drug abuse is a global challenge. It is being reported that five to six per cent of the global population between the ages of 15 and 64 years are using drugs at least once in their lifetime and most of these people belong to the age group of 15 to 30 years.

Sir, millions of youths, who are the future of India, fall victim to this menace. An abusing drug impairs the successful transition to adulthood by impairing the development of critical thinking, learning capacity, the cognitive skills, and the intelligent capacity of the future generation of the country is being totally destroyed because of use of these banned drugs.

Further, Sir, the adolescents who abuse drugs are reported to have a higher rate of physical and mental illness. Drug abuse is defined as a self-administration of a drug for non-medical purpose in such amount and periodicity, which may impair their ability to function adequately, and may result in social, physical or emotional harm.

(1215/RP/MK)

Sir, the increasing rate of drug addicts and alcohol usage is a massive danger prevailing in our society for which concern and solutions are required. That is the need of the hour. There are two issues. The first one is the concern and second one is the resolution of these concerns.

I would like to draw the attention of the hon. Minister regarding the concerns. During the abuse it is seen that it is a complicated problem because it is linked with other serious crimes such as organised crimes, human trafficking, and money laundering. All these are inter-connected with the abuse of the drugs. So, this is a complex situation prevailing in our society. This has to be dealt with in a sophisticated manner. Otherwise, we will not be able to resolve this issue. Article 47 of the Constitution, that is the Directive Principles of the State Policy, very clearly spells out that it is the responsibility of the State to restrict the use of drugs. On the basis of Article 47 of the Constitution of India, we, the Parliament, have enacted two legislations, the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988. I would like to seek a clarification from the hon. Minister whether these two legislations are sufficient to combat this menace of drug abuse. To me, it is not sufficient to meet the purpose. Why am I saying this? The first reason is lack of political will or power to enforce or implement the law. The second reason is that there are some lacunas in the legislation. These two issues have to be addressed at this juncture.

Sir, in order to address these issues, the Government of India should come out with some plan. I am having seven suggestions in this regard. The first suggestion is that the Government of India should come out with a national action plan for drug abuse. The Government of India should come out with a clear-cut policy.

Though it is a matter concerning the States, the Government of India, under the leadership of the hon. Home Minister, definitely, can take this initiative to have a national action platform so as to address the issue of drug abuse. The second suggestion is that there is a need for counselling and rehabilitation centres throughout the country.

I would like to draw the attention of the hon. Minister towards the cases of drug abuse. The number of total drug related cases reported in India, as per the NDPS Act, in the year 2020, are 59,806, out of which, 57,600 cases are reported from the States and 2,206 cases are reported from the Union Territories. I would like to draw the attention of the hon. Minister as to why it is happening. If you examine it, out of the cases reported in the Union Territories, 55 per cent of the cases are from the Union Territory of Jammu and Kashmir. What does it indicate? It means that it is having link with anti-national terrorist forces. Drug abuse is one of the means by which youths are being misled and anti-national forces are being encouraged. It is well-evident from the statistical data of the Union Territory of Jammu and Kashmir. I am coming to the States also. The highest number of cases of drug abuse are reported from Uttar Pradesh. Then, there is Punjab, Tamil Nadu, and Kerala. It is astonishing to see that a literate State like Kerala is facing such a menace. The State Legislative Assembly has discussed it at length. A full day discussion took place and a resolution was also passed in the State Legislative Assembly to combat this menace. A State like Kerala, which is a small State, is having fourth number of cases reported and that too in the age group of 10 years to 15 years. It is the adolescent age. It is being learnt that 80 per cent of the cases, reported in Kerala, are in the age group of 10 years to 15 years. That means, they are targeting the school children.

Sir, the third point is regarding protection and solution, individual's attitude, and perception. Individuals with a strong belief against drug use and those with a strong desire to maintain their health are well protected from involvement in drug abuse. I have two suggestions for the hon. Minister in this respect. The first suggestion is that an intensive awareness campaign has to be brought in. The second suggestion is that this should be included as a subject matter or a paper in the school syllabus.

(1220/NKL/SJN)

Sir, the next point is regarding the parents. It is being reported that the expecting mothers who take tobacco and alcohol have an indirect link with the adolescents who use such substances in their later life.

Sir, another point is regarding legislation. I have already mentioned that both legislation and enforcement should be engaged regularly against drug abuse as part of our commitment to combat this public health burden.

The fourth point I would like to make is this. The Schedule of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 should be amended. I would like to draw the attention of the hon. Minister to this issue. Nowadays, as per the NDPS Act, 1985, if a small quantity of *ganja,* MDMA*, charas,* or any other such substance is being carried by a person, it is a bailable offence. The Schedule of the NDPS Act, 1985 was subsequently amended in the year 2022, thereby making these offences bailable. Now, people are at liberty to carry a small quantity of these substances. So, I would like to suggest to the hon. Home Minister that a drastic amendment to the Schedule of the NDPS Act, 1985 is the need of the hour; otherwise the cases of drug abuse will increase. … (*Interruptions*) I am just concluding.

My next point is regarding the availability of these banned drugs. The main point to be addressed is this. The availability of banned drugs is the main reason for having this abuse. So, the root cause has to be identified and needs to be cut off. Stringent actions must be taken against this so that there is no scope of availability of drugs.

Sir, I would like to suggest that a Monitoring and Review Committee must be constituted either Legislative Assembly Constituency-wise or Parliamentary Constituency-wise, so as to address this issue. I would like to share my experience. In the DISHA Meeting, Madam Smriti Irani*ji* had given a direction to discuss the issue of POCSO cases. Likewise, this should also be a subject matter in the DISHA Meeting. Otherwise, a Monitoring and Review Committee must be constituted at the Parliamentary Constituency level so that the people's representatives can also be a part and parcel in combating the drug abuse issue.

Hon. Speaker Sir, lastly, I would like to urge upon you to pass a unanimous Resolution and give a message to the whole nation so as to combat this drug abuse without any political barriers.

We have to be unanimous in this issue. Without having any political differences, we have to fight against this menace; otherwise, the future generations of our country will be spoiled and their intellectual capacity will be disturbed. This is, in an indirect way, encouraging the terrorists and the anti-social and anti-national forces. So, a unanimous Resolution has to be passed, and a message has to go from this Parliament to address this issue. With these words, I conclude my speech.

Thank you very much.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक अच्छी चर्चा चल रही है, सकारात्मक सुझाव भी आ रहे हैं, लेकिन सदन में जो सुझाव एक बार आ चुके हैं, उनको रिपीट न करें। इसलिए सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर मिला है।

मेरा आपसे आग्रह है कि आप दो या तीन मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दें। कुछ नियमों में परिवर्तन करना हो या आपको कुछ और भी बोलना हो, आपको बोलने की अभिव्यक्ति और आजादी है। अगर आप दो या तीन मिनट में अपनी बात खत्म कर देंगे, तो दोपहर के दो बजे इस पर जवाब दिलवा देंगे। ये मेरा आप सबसे आग्रह है।

… (व्यवधान)

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Sir, please increase it to five minutes.

HON. SPEAKER: No, only two to three minutes' time will be allotted.

Now, Sushri Sunita Duggal*ji*.

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, दो या तीन मिनट के बाद माइक अपने आप ही बंद हो जाएगा।

1224 बजे

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा) : अध्यक्ष जी, मेरी आपसे विनती है कि मेरा राजनीति के अंदर आने का एक बहुत बड़ा मकसद यह भी था। आप चाहे मुझे आखिरी में समय दें, लेकिन मुझे इसमें ज्यादा समय चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको दो मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा।

... (व्यवधान)

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा) : अध्यक्ष जी, मैंने वर्ष 2014 में रतिया से चुनाव लड़ा था। माननीय गृह मंत्री जी भी वहां पर गए थे।

माननीय अध्यक्ष : आप अपने दो मिनट ऐसे खर्च मत कीजिए।

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा) : अध्यक्ष जी, मुझे वहां की महिलाएं अलग स्थान पर ले जाकर यह कहती थीं कि बेटा हमारे बच्चों को बचा लो। मैं चाहती हूं कि मुझे इसमें थोड़ा ज्यादा समय दिया जाए। मैं यह कहना चाहती हूं कि ड्रग एब्यूज और उस पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर यह चर्चा हो रही है।

(1225/YSH/MMN)

मैं देख रही हूँ कि सब के सब ड्रग्स पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उसके ऊपर किसी ने चर्चा नहीं की है। मैं गोल्डन क्रिसेंट के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा ईरान से यह सब कुछ आता है। वर्ष 2019 में एम्स की जो रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार पंजाब, असम, दिल्ली, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश राज्यों को चिह्नित किया गया था, जहां पर सबसे ज्यादा मैग्निट्यूड ऑफ सब्सटेंस का यूज था।

आदरणीय अध्यक्ष जी, चूँकि पाकिस्तान से राजस्थान और पंजाब के माध्यम से यहां पर ड्रग्स आते हैं। अब तो ड्रोन से भी ड्रग्स आने लगे हैं। मैं यह कहना चाहती हूँ कि एक जगह पर कांग्रेस की सरकार और दूसरी जगह पर आप पार्टी की सरकार है। वे पहले यहां पर लोक सभा के सांसद थे, सबको मालूम है कि उनका तो नशे से दूर-दूर तक रिश्ता नहीं है। अब वे वहां पर मुख्य मंत्री बनकर चले गए हैं। मेरी अभी पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई और उसके बारे में मैंने उनसे चर्चा भी की।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहती हूँ कि उसके एक हफ्ते के अन्दर-अन्दर ही आदरणीय गृह मंत्री जी ने चंडीगढ में जाकर ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत की और जितने भी आस-पास के राज्य हैं, उन्होंने उन सबके साथ इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। मुझे लगता है कि हमारे गृह मंत्री जी इस पर और ज्यादा विस्तार से बताएंगे। मैं यह कहना चाहती हूँ कि उसके बाद पूरे हिन्दुस्तान के अंदर 272 जिले चिह्नित किए गए। उनमें से हरियाणा के अन्दर ऐसे 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो चिह्नित किए गए और दुर्भाग्य से उसमें मेरे लोक सभा क्षेत्र के तीन डिस्ट्रिक्ट्स भी आते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर हैं, चाहे सिरसा हो, फतेहाबाद हो या जींद हो। इसके साथ-साथ मैं आपसे कहना चाह रही हूं कि हमारी सरकार ने इसके अंदर काफी काम किए हैं। हमारी सरकार ने एक स्टेट एक्शन प्लान बनाया है, जिसके माध्यम से केयर लॉन्च किया है, जिसमें कोऑर्डिनेशन, अवेयरनैस, रिहैबिलिटेशन और एन्फोर्समेंट है। यह काम हमारी हरियाणा सरकार ने किया है।

29 मई, 2020 को हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो बनाया गया और उस ब्यूरो के माध्यम से फाइव टियर स्ट्रक्चर बनाया गया है। यह मैं आपके माध्यम से जितने भी माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं, उनको बताना चाहती हूँ। इसके माध्यम से वे देखें कि वे अपने राज्य में क्या कर सकते हैं। चूँकि सरकार क्या कर रही है, उसके बारे में भी बताना जरूरी है। मैं यह बताना चाह रही थी कि फाइव टियर जो स्ट्रक्चर है, वह बनाने के लिए कहा है, जिसके अंदर 7538 विलेज मिशन टीम है, 1710 वार्ड मिशन टीम है, कलस्टर मिशन टीम है, सब डिविजन मिशन टीम है, डिस्ट्रिक्ट मिशन टीम है। इसके साथ-साथ इसमें 50 परसेंट जो भागीदारी है, वह एडमिनिस्ट्रेशन की है और 50 परसेंट भागीदारी पब्लिक की है। इसके साथ-साथ मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाह रही हूं कि ड्रग एडिक्ट्स न कहा जाए। माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि अगर हम ड्रग एडिक्ट्स की जगह ड्रग विक्टिम कहेंगे, क्योंकि वे बच्चे हैं और वे किसी न किसी कारणवश इसके अंदर आते हैं तो उनको ड्रग विक्टिम कहा जाए। यह बहुत अच्छी बात है। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रही थी कि वह जो टीम है, वह इसके बारे में पूरी जांच-पड़ताल करेगी और हमने एक 'धाकड़ प्रोग्राम' बनाया है। देखिये, यह हरियाणा है और धाकड़ है, यह आपको मालूम ही है कि अभी किस तरह से वहां पर, चाहे हम पहलवानी की बात करें, कुश्ती की बात करें, तो वे हर चीज में अव्वल रहते हैं। एक धाकड़ प्रोग्राम रखा गया है, जिसके अंदर एक क्लास के अंदर पाँच बच्चों को चिह्नित किया जाएगा। वे बच्चे जो भी ड्रग एडिक्ट मिलेंगे या ड्रग विक्टिम्स मिलेंगे, उनको चिन्हित करेंगे और जो बच्चा इसमें सबसे अग्रणी रहेगा, उसको सीनियर धाकड़ बोला जाएगा। वह अपने हेडमास्टर को या प्रिंसिपल को यह बात जब बताएगा तो उसको नोडल धाकड़ बोला जाएगा। इसके माध्यम से हम ऐसे बच्चों को निकाल सकते हैं। अभी मैं सिरसा की बात करूं, तो उसमें मैंने खुद एक क्लीन प्रोग्राम लॉन्च किया है। Cutting the supply of illicit drug, law enforcement, empathetic rehabilitation of drug victims and awareness generation are new ideas for all stakeholders for drug free Sirsa. अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारे वहां पर highest recovery of heroin and poppy husk की हुई है। जब हम छोटे बच्चे थे तो कई बार अखबारों में पढ़ते थे कि हेरोइन पकड़ी गई, हेरोइन पकड़ी गई और हमें चिंता हो जाती थी कि कहीं हमारी हेमा मालिनी जी तो नहीं पकड़ी गई! लेकिन फिर बाद में हमें पता लगा कि ड्रग्स को हेरोइन कहा जाता है। 17 महीनों के अन्दर-अन्दर सिरसा में 802 केसेज़ पकड़े गए हैं। वहां के एसपी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं इसके साथ-साथ यह कहना चाहती हूँ कि जो पंजाब की धरती है, वह ऊर्जावान युवाओं की धरती है। आज पंजाब की धरती का क्या हाल हो रहा है?... (*Expunged as ordered by the Chair*) के बारे में सभी ने चर्चा की है। आज वहां के जो मुख्य मंत्री हैं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप किसी प्रदेश के बारे में टिप्पणी मत कीजिए।

श्री गौरव गोगोई जी।

… (व्यवधान)

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): अध्यक्ष जी, मुझे सिर्फ एक मिनट बोलने के लिए मौका दीजिए। मैं खत्म करने से पहले अपनी आखिरी बात को पूरा करना चाहूंगी।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, नो।

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हरियाणा सरकार काम कर रही है, वैसे ही पंजाब सरकार भी काम करे। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को काम का नशा है। उन्हें माँ भगवतगीता और शिव का नशा है।… (व्यवधान) हमारे गृह मंत्री जी को काम का नशा है।… (व्यवधान)

(1230/RPS/VR)

माननीय अध्यक्ष : सदन व्यवस्था से चलता है और माइक अपने आप बन्द हो जाता है।

श्री गौरव गोगोई जी ।

… (व्यवधान)

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): सर, मुझे एक मिनट समय दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है। आप कन्क्लूड कीजिए। आपने पांच मिनट बोल लिया है।

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): सर, मैं यह कहना चाहती हूं कि देखिए, गुरु नानक देव जी ने क्या कहा है:

"नशे भंग शराब के उतर जाण प्रभात,
नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात ।"

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई जी, माइक अपने आप बन्द हो जाएगा।

1231 बजे

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत की, लेकिन यह चर्चा बहुत देर से हो रही है। पंजाब के जो भी मुद्दे आज इस सदन में उठे हैं, मुझे याद है कि वर्ष 2012 में हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी ने उस समय ही बोल दिया था कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, नशे को लेकर हमें बहुत चिन्तित होना है और नशे के कारण पंजाब के युवाओं का भविष्य हम अंधकार में धकेल रहे हैं। लेकिन उस समय यहां जो सत्ता पक्ष था, उनकी राजनीतिक टिप्पणी आई, विभिन्न प्रकार से बोला गया, आलोचना की। हम बार-बार यह कहना चाहते हैं कि हम विपक्षी दल होने के नाते अगर कोई मुद्दा उठाएं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप वही-वही आलोचना कर दीजिए। किसी मुद्दे में कोई मूल्य है और उस मूल्य को आप समझिए। कोविड के बारे में भी राहुल जी ने पहले बोला, आपने बात नहीं सुनी। आज चीन के बारे में भी बार-बार राहुल जी बोल रहे हैं कि आप इस पर एक ठोस कदम उठाइए, लेकिन आप सेना के पीछे छिप रहे हैं। यह सदन किसका है? यह सदन देश का है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप विषय पर बोलिए।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, देश के अंदर जो सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वे यहां उठने चाहिए, क्योंकि देश की जनता सरकारों को चुनती है, न कि सेना को । अगर देश की जनता सरकारों को चुनती है तो सरकारों का भी जवाबदेह होना बनता है। अगर आज हम ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स कहां से आते हैं। ड्रग्स पानी से आएंगे, सागर से आएंगे या सीमा से आएंगे या अंतर्राष्ट्रीय विमान अड्डों से आएंगे। आज हम गृह मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आपने एयपोर्ट्स पर किस प्रकार से सर्विलेंस बढ़ाई है? आपने सी बॉर्डर्स पर किस प्रकार से सर्विलेंस बढ़ाई है और आपने लैण्ड बॉर्डर्स पर किस प्रकार से सर्विलेंस बढ़ाई है? यह कोई नया मुद्दा नहीं है, आप बार-बार सीमा सुरक्षा की बात करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि सीमा सुरक्षा के मामले पर आपने किस प्रकार से हमारे सीमा सुरक्षा बल को और ताकत दी है। आज हम उत्तर पूर्व में देख रहे हैं कि म्यांमार से विभिन्न प्रकार के आर्म्स आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं। उत्तर पूर्व में आज सब तरह की ट्रैफिकिंग हो रही है, वहां एक कॉरिडोर बन गया है, जिसमें आर्म्स ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रही है, एनिमल बॉडी पार्ट्स की ट्रैफिकिंग हो रही है। कहीं न कहीं यह सब बॉर्डर से जा रहा है तो बॉर्डर्स का संरक्षण किसके हाथ में है? बॉर्डर्स का संरक्षण आपके हाथ में है, सीमा सुरक्षा बल के हाथ में है तो आप इस बारे में बताइए। आप यह बताइए कि इंटेलिजेंस का आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं? सर्विलांस का आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं? आप बार-बार हमारे ऊपर … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) कर देते हैं। हमारे मोबाइल फोन पर … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) लगा देते हैं, पत्रकारों पर पेगासस लगा देते हैं। आप मुझे यह बताइए कि पेगासस के द्वारा आपने कितने ड्रग्स और नारकोटिक्स के माफिया को पकड़ा है?

आप जो सर्विलांस हम पर लगाते हैं, आपने कितने ड्रग्स के माफिया और बड़े-बड़े माफियाओं को इस सर्विलांस के द्वारा पकड़ा है, यह भी हमें बताइए।... (व्यवधान)

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): अध्यक्ष जी, इन्होंने बहुत गम्भीर आरोप लगाया है कि इनके मोबाइल पर ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) लगा है, इसके आधार उनको सदन में प्रस्तुत करना चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते। या तो ये शब्द निकाल दिए जाएं, या फिर वह उसके आधार सदन में प्रस्तुत करें। इनके पास एक भी आधार हो किसी पत्रकार का, नेता का या उनका खुद का, उसे यहां सदन में रखना चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन गंभीरता के साथ बहस के लिए है। स्वछन्दी राजनीतिक आरोपों के लिए यह सदन नहीं है। हर सदस्य को बोलते वक्त उस तथ्य को यहां रखने की पात्रता रखने के बाद ही बोलना चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, मेरा आग्रह है कि यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो सरकार यह कुबूल करे कि सरकार पेगासस का इस्तेमाल नहीं करती है।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह: अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा है कि इसका इस्तेमाल हुआ है और उन पर हुआ है, आप तथ्य रख दो।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चलिए, आप अपना मोबाइल रखिए, चेक करा देंगे।

श्री अमित शाह: बाकी सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। बदनाही नहीं है आपके नेता की तरह, तो हम क्या कर सकते हैं।... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, आप आदेश दीजिए। हम आपके आदेश के अनुसार, आपको यदि लगता है कि मैंने सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया है तो आप आदेश दीजिए। सदन में हम जो भी बात रखते हैं, वह जिम्मेदारी के साथ रखते हैं।... (व्यवधान)

(1235/SPS/SAN)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह उच्च सदन है और उच्च सदन में हम अपनी बात तथ्यों, प्रमाणों के साथ रखें तो सदन की मर्यादा बढ़ती है। यह मेरा आग्रह है।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : सर, मैं दूसरी बात इंटेलीजेंस पर सर्विलांस के लिए बोल रहा था। जहां से यह बात उठी है तो हम यह जानना चाहते हैं कि आपने कौन सी आधुनिक सर्विलांस का इस्तेमाल किया है और कौन सी आधुनिक सर्विलांस के द्वारा आपने बड़े-बड़े माफियाओं को पकड़ा है। आप हमें यह बता दीजिए। मेरी तीसरी बात फाइनेंशियल ट्रैकिंग की है। आपने फाइनेंशियल ट्रैकिंग में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं? नार्को ट्रेड को लेकर करोड़ों रुपये कैसे जा रहे हैं और कहां से जा रहे हैं? क्या यह क्रिप्टो से हो रहा है? क्या यह बैंक अकाउण्ट से हो रहा है? क्या यह बेनामी से हो रहा है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पकड़ने के लिए वे कौन से बड़े-बड़े लोग हैं और उनके लिए सरकार ने क्या किया है? ... (व्यवधान)

सर, मेरे दो पॉइंट्स हैं, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। हम जन जागरण की बात करते हैं। जब हम जन जागरण की बात करते हैं तो हमें विभिन्न गैर सरकारी संगठनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि वे नुक्कड़-नाटक और विभिन्न प्रकार के जन जागरण के अभियानों के द्वारा गांवों में जाएं और छात्रों के पास जाकर उनको बताएं कि इस पदार्थ की नशीली दवाएं हमें नहीं लेनी चाहिए, लेकिन यह सरकार बार-बार एफसीआरए को लेकर सिविल सोसाइटी का बार-बार इन्वेस्टीगेशन करती है। आप सिविल सोसाइटी को भी ढंग से काम नहीं करने देते हैं।

मेरी आखिरी बात यह है कि हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं। हम भी चाहते हैं कि स्पोर्ट्स आगे बढ़े। मैं खुद भी ड्रग्स को लेकर अपने लोक सभा क्षेत्र में फिटनेस को लेकर दौड़ आयोजित करता हूं। अभी तक ड्रग्स विरोध में मैंने युवाओं के साथ दो-तीन दौड़ का आयोजन किया है। दौड़ के साथ-साथ हमारा छात्र जानना चाहता है कि स्कूल में कोच कहां है, स्कूल में प्लेग्राउण्ड कहां है? ये सरकार स्पोर्ट्स की तो बात करती है, लेकिन स्कूल में कोच और स्कूल में स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने क्या किया है, आप यह बताइए। सभी ने यह कहा है और हम भी यह कहना चाहते हैं कि यह ड्रग्स एक कैंसर है, एक कर्कट का रोग है। इस रोग में जो फंसता है, उसको हमें किसी क्रिमिनल की तरह नहीं, बल्कि एक रोगी की तरह देखना चाहिए। इसी तरीके से हमें पुलिस और सीमा सुरक्षा पर जोर देना है तथा इसके साथ-साथ हमें रिहैबिलिटेशन पर भी जोर देना चाहिए।

(इति)

1237 बजे

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद) : सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एक बहुत गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है और यह चर्चा कल से हो रही है, जिसका ताल्लुक हमारी आगे आने वाली जनरेशन से है। हम जानते हैं कि जिस तरह से यह ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, उससे आने वाली नस्लों को नुकसान होना है और हमारा देश कमजोर होगा। इसमें कहीं न कहीं इंटरनेशनल साजिशें भी हमारे साथ हो रही हैं।

1238 बजे (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन पीठासीन हुए)

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नशे का कारोबार करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो नशा करते हैं, उनमें आज तक का यह रिकॉर्ड है कि जितने भी हीनियस क्राइम्स हुए हैं, वे नशे में हुए हैं। चाहे वह बच्चियों के साथ बलात्कार हो, रिश्तों को तार-तार किया गया हो, मर्डर किए गए हों, डकैती डाली गई हों, उनमें ज्यादातार 90 परसेंट लोग नशे में होते थे, जो यह काम करते थे। हम इस कारोबार पर बैन लगाने और रोकने की पूरी कोशिश कर रह हैं तथा हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हम इसके लिए सरकार के साथ खड़े हैं।

महोदय, यह देश का मामला है, यह कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, लेकिन जो लोकल नशा हो रहा है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के अंदर आपने देखा होगा सड़कों के किनारे बहुत भांग खड़ी है। उसे लोग हाथ से तोड़कर मसलते हैं और उसके बाद उसे निकालकर सिगरेट में डालकर उसका नशा करते हैं। जाहिर है कि भांग को उगने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन ऐसे लोग, जो नशे के आदी हों, उनको कम से कम तीन महीने की जेल की जाए। जेल के अंदर उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए। जब वे तीन महीने तक आइसोलेशन में जाएंगे तो हो सकता है कि उनका नशा छूट जाए। हमने मिडिल ईस्ट के देशों में देखा है, वहां ये सब कुछ क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां कानून बहुत सख्त हैं। हमारे यहां भी सख्त कानून की जरूरत है। कैपिटल पनिशमेंट के लिए सब मना करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जरूरत होती है। इसमें भी कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंता हूं कि हमारे थानों पर ये नशीली चीजें कहां से आती हैं। कोई भी इन्फ्लुएंशियल इंसान किसी को धमकी देता है कि मैं तुझे एनडीपीएस एक्ट में बंद करवा दूंगा, थाने के अंदर उसके पास से दवाएं निकलती है और वह एनडीपीएस में बंद करवा देता है। मेरी गृह मंत्री जी से दरख्वास्त है कि इस कदम को सख्ती से रोकें, जिससे इसका फैलाव भी कम होगा। मेरा आखिर में यही कहना है कि इस कारोबार पर सख्त से सख्त कानून बने। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

(इति)

(1240/RAJ/SNT)

1240 बजे

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति महोदय, आपने मुझे देश में मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने यहां पर कई बातें सुनी है, जिसके बाद मैं थोड़ा चिंतित हो रहा हूं। यहां नशे के खिलाफ बात हो रही है, लेकिन कुछ लोग एल्कोहल को ग्लैमराइज करते हैं। मैं जिस गांव से आता हूं, वहां मैंने देखा है कि लोगों को पहले शराब का नशा लगा, फिर उनको गांजा का नशा लगा, फिर वे हेरोइन पीने लगे। इसके कारण उनके 80-80 बीघा खेत बिक गए। वे बर्बादी के कगार पर चले गए। ड्रग की परिभाषा क्या है? उसको जानें लेकिन अल्कोहल को ग्लैमराइज न करें। यह मेरी प्रार्थना होगी। हमारे किसी साथी ने कहा है कि बंदरगाह पर तीन हजार किलोग्राम ड्रग्स पकड़ ली गई। अगर वह पकड़ ली गई, तो इस पर क्यों शॉक्ड हैं? यह मुझे समझ में नहीं आता है।

हम लोग पहले से आज तक की तुलना करते हैं। मैं अभी-अभी पढ़ रहा था कि वर्ष 2006 से वर्ष 2013 तक 22,45,178 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई थी, वहीं वर्ष 2014 से वर्ष 2022 तक 62,60,230 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई है। सरकार का यह प्रयास अपने-आप में तुलना दिखा देता है। इनमें 40 लाख किलोग्राम का अंतर है। वर्ष 2006-13 में जब्त की ड्रग की मात्रा 10,31,117 किलोग्राम थी। अब 24 लाख से ज्यादा की संख्या में ड्रग्स जब्त की गई है। हम माननीय एचएम महोदय को धन्यवाद करना चाहते हैं। गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ में एनसीबी के सहयोग से एक मीटिंग की थी। उसमें उन्होंने जो स्टेप्स उठाए थे, हमें उनका भी अध्ययन करना चाहिए।

कुछ समय पहले की बात है। 27-28 अक्टूबर, 2022 को सूरजकुंड में एक चिंतन शिविर हुआ। वह गृह मंत्रियों का सम्मेलन था। उसमें प्रधान मंत्री जी ने स्वयं भाग लेकर संबोधित किया और इसका परिणाम आ रहा है। हमारी कोशिश यह है कि बातें बहुत हो गईं, अब कुछ ठोस काम होना चाहिए। अगर हम नशे को नहीं हरा पाए, तो उसका हमें अफसोस होना चाहिए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कई ऐसी बाते हैं - जैसे, ड्रग्स के व्यापारियों पर कड़ा शिकंजा हो। मेरा यह एक सुझाव है कि ड्रग्स के व्यापारियों पर कड़ा शिकंजा हो, लेकिन जो युवा इसमें धोखे या अन्य कारणों से फंस गए हैं, उनसे विक्टिम यानी बीमार जैसा ही व्यवहार हो। उनको ठीक होने में मदद की जाए। मैं दिल्ली से माननीय सांसद चुना गया हूं। दिल्ली में ड्रग्स और नशे के अपराधियों को दिल्ली की लोकल सरकार संरक्षण दे रही है। यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। जो पुलिस की कार्रवाई में भी बाधा डालते हैं। जब वह ऐसे कड़े फैसले लेती है, तब स्वयं...(अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) पुलिस के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं वह शब्द यहां नहीं बोलना चाहता हूं, जो उन्होंने पुलिस के लिए प्रयोग किया है। इसकी चिंता सदन को करनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यहां माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके हैं, जो इल्लीगल घुसपैठियों की बहुलता वाले हैं। वहां पर ड्रग्स का बड़े स्तर पर व्यवसाय हो रहा है। ऐसी जगह पुलिस को बड़ी तैयारी से दीर्घकालिक योजना के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ माह पहले ओखला में एक युवक को दिन-दहाड़े मार दिया गया था, क्योंकि वह ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ शिकायत करता था।

कुछ लोगों ने इस देश में ऐसा भ्रम फैलाया है। मैं मुंबई के संदर्भ में कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं फिल्म उद्योग के संबंध में बात करना चाहता हूं। जब हमारे साथी रवि किशन जी ने यहां एक बार ड्रग्स के खिलाफ बात की, तो कुछ लोगों ने बिना सार को समझे हुए, थाली में छेद करने जैसी बातें करनी शुरू कर दीं।... (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं एक मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं समय की मर्यादा समझ रहा हूं। कुछ लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाया कि ड्रग से बॉडी में फिटनेस आती है, ज्यादा देर काम करने की क्षमता बढ़ती है। यह तनाव खत्म करने में मदद करता है। इन लोगों ने बहुत खूबसूरती से देश के फिल्म-कलाकारों, युवाओं और प्रतिभाओं को नष्ट करने के लिए एक साजिश के तहत ड्रग एडिक्ट्स बना दिया। इसका परिणाम भयानक हुआ। हमने सुशांत राजपूत जैसे व्यक्ति को खो दिया।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि सरकार जिस प्रकार से मादक पदार्थों की आपूर्ति और मांग दोनों को कम करने के लिए काम कर रही है, वह प्रयास बहुत सकारात्मक है। उनकी सराहना होनी चाहिए। (1245/VB/SRG)

लेकिन चर्चा तो इस नशे की भी होनी चाहिए। मैं लास्ट में दो लाइनें कहूँगा। आजकल राजनीतिक पार्टियाँ चन्दा लेती हैं। आदरणीय श्री अमित शाह जी यहाँ बैठे हुए हैं। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने कहा था कि दो हजार रुपए से ऊपर कोई भी बिना एकाउंट के चन्दा नहीं ले सकता है। क्या चन्दा लेने वाले लोग यह समझते हैं कि वह चन्दा किससे लिया जा रहा है? ऐसी स्थिति में, मैं इस चर्चा को बहुत ही सकारात्मक मानता हूँ।

मैं इस चर्चा के अंत में सिर्फ दो लाइनें कहना चाहता हूँ कि कई लोग यहाँ पर बहुत अच्छी-अच्छी चर्चा करके विडियो वायरल करते हैं, लेकिन वे खुद भी सोचें कि क्या वे इतनी भयानक बीमारी को खत्म करने के लिए दिल से कोशिश कर रहे हैं?

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1246 बजे

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): … (*Interruptions*)... (*Expunged as ordered by the Chair*)

1248 बजे

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON (SHRI N.K. PREMACHANDRAN): Please maintain the time limit.

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I will finish my speech in two minutes. मैं सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 47 को यहाँ पर कोट करना चाहूंगा, "कि राज्य की विशेषताएं मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग और प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।" यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम इसे रोकने के लिए जो कुछ भी हो सके, वह करें। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा यह प्रयास हो रहा है और बहुत ही हिसाब से इस दिशा में चलने का काम हो रहा है। लेकिन मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर के अन्दर पिछले तीन सालों में हमने देखा है कि हेरोइन की डिमांड और कंजम्पशन बढ़ता चला गया। खास तौर से, यह युवाओं के अन्दर पाया जाता है। नेपाल हमारे जिले के बॉर्डर से बहुत दूर नहीं है। वहाँ से भी मादक पदार्थ आने की बातें होती हैं। हमें यह भी पता है कि अफगानिस्तान और समुद्र के रास्ते से 70 परसेंट ड्रग्स आता है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक बड़े लेवल पर और ग्रास रूट लेवल पर जो जानकारियाँ मिल सकती हैं, हालाँकि बहुत सारे तथ्य हमारे पास नहीं हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं पुलिस तंत्र भी इसके अन्दर अपनी संलिप्तता दिखाता है। एक बहुत बड़ा इश्यू यह भी है कि हमारे देश में, चाहे अवैध शराब बन रही हो, चाहे ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा हो, इसे संरक्षण कहीं न कहीं पुलिस फोर्सेज के अन्दर जो लोग होते हैं, उनसे भी मिलता है। उसका एक प्रमुख कारण है।

(1250/AK/PC)

Sir, I am concluding. I know that I have very little time as somebody from my Party has already spoken. सर, हमें यह देखने को मिलता है कि इसका संरक्षण कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा भी किया जाता है। चाहे इसको लाने की बात हो या इसका व्यापार कराने की स्थितियां हों। मेरा इस सदन के माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि एक ऐसा कानून बने, जिसके अंदर, भले ही पुलिस राज्य का विषय है, लेकिन पुलिस यदि इन कामों में इनवॉल्वड रहती है, तो पुलिस के ऊपर भारी कार्यवाही होनी चाहिए। इसके साथ-साथ वह इन कामों के अंदर न घुसे इसके लिए खास तौर से जो सिपाही वर्ग है, इसकी तनख्वाह भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इनकी तनख्वाह कम है और वर्किंग आवर्स इतने ज्यादा हैं कि वे कहीं न कहीं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इन कामों के अंदर संलिप्तता करते हैं। अत: मेरा इस पटल के माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि कहीं न कहीं हमारे पुलिस विभाग के लिए एक खास कानून बनाकर उसे सुधारा जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1251 बजे

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी (बालासोर) : चेयरमैन सर, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सर, हम सब इस विषय के बारे में जानते हैं। नशे की भीषणता, भयावहता और मारकता के बारे में हमारा अनुभव है। इससे जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है, जैसा कि अभी बिहार में हुआ। पंजाब के बारे में भी कई माननीय सदस्यों ने व्यापक तरीके से अपनी पीड़ा का व्याख्यान किया। परिवार पस्त हो जाता है, समाज ध्वस्त हो जाता है। हमारी सरकार का इन नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए जीरो-टॉलरेंस है। मैं मानता हूं कि हमारे मान्यवर प्रधान मंत्री जी और मान्यवर गृह मंत्री जी की प्रतिबद्धता में कोई संदेह नहीं है।

राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को मिलित रूप से एक एक्शन प्लान बनाना है। इससे धन हानि भी होती है, प्राण पीड़ा भी होती है और इससे राष्ट्र की अंतरआत्मा कांप उठती है। रास्ते से कई लोगों को एक्सीडेंट के कारण उठाकर हम कभी-कभी हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। एक सर्वे के अनुसार 90 परसेंट से ज्यादा एक्सीडेंट्स का कारण नशा है।

सर, मैंने 20 सालों तक इसके लिए आंदोलन किया। मैंने देखा कि कुछ गांवों में तीन-चार महीनों में एक मुकदमा होता है। वर्ष 1999 और वर्ष 2000 में हमने दो-चार गांव नशामुक्त करवाए। आज तक इसमें एक भी मुकदमा नहीं चला। अकाल मृत्यु के कारण हमारी कई बहनें विधवा हो जाती हैं। नशे की सबसे बड़ शिकार हमारे माताएं हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे - “Our great national sin is neglect of women and tyranny over masses”.

सर, माताओं को न्याय देने के लिए भारत को नशा मुक्त करना चाहिए। इसमें बहुत मेडिकल कष्ट होता है। जब हम आंदोलन चलाते थे, तो उस समय कलेक्टर बोलते थे और जब हम पिकेटिंग करते थे, तब एक्साइज सुपरिटेंडेंट बोलते थे। कभी-कभी जब मैंने विधान सभा में यह सवाल उठाया, तो सरकार ने भी उत्तर दिया। कलेक्टर और एक्साइज सुपरिटेंडेंट का कार्य यूनिफॉर्म अनुसार है, जैसी एक ट्रेनिंग हुई है। वे बोले कि दारू से हमको रेवेन्यु आता है। मैंने पूछा कि आपको क्यों रेवेन्यु की दरकार है? वे बोलते हैं कि हम नशे को एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको लीगलाइज़ करके इसकी सेलिंग करते हैं, सरकारी दुकान खोलते हैं। मैंने बोला कि पुलिस के द्वारा तो क्राइम को भी बंद नहीं किया जाता है, तो चोरी, डकैती, रेप, मर्डर के लिए क्या टेंडर निकालेंगे? क्या सरकार की मदद से यह चलेगा? इससे रेवेन्यु आएगा?

सर, मैं चाहता हूं, जैसे हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, तो क्या हम इसको बंद नहीं कर सकते हैं? गुजरात में जैसे हुआ, वैसे ही कानून बनाना चाहिए और कानून का जो उल्लंघन करेगा, उसके लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, पीनल प्रोविजन होने चाहिए।

सर, हमारे यहां ओडिशा में वर्ष 1954 में जब मान्यवर श्री नवकृष्ण चौधरी जी मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने संपूर्ण नशामुक्ति के लिए एक बिल पास करवाया था। आज तक इस कानून को इफेक्टिव नहीं किया गया है। इससे परिवार असहाय होता है, एक बालक असहाय हो जाता है। कोई टीचर नशे के कारण एक्सीडेंट में मर गया, तो उसका बेटा असहाय हो जाता है।

मैंने एक गांव में देखा, जब हमने नशामुक्ति के लिए सत्संग चालू किया, इसके कारण उनको सर्वोदय समाज द्वारा सम्मानित किया गया, मैं खुद गया था। इससे कितनी पीड़ा होती है। वे पोस्ट विक्टिम हैं। कभी-कभी मैंने देखा, जब मैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाता था, तब एक बालक ने बोला कि मैं स्कूल नहीं जा सकता हूं। उसके पिताजी ने विरोध किया। मैंने बोला ऐसा क्यों? इस पर वह बोला कि मेरे पिताजी दारू पिएंगे, जिसके लिए पैसा चाहिए और उनको दारू पीने के लिए मुझको खदान में काम करने के लिए जाना पड़ेगा।

(1255/IND/SPR)

महोदय, आप सोच सकते हैं कि यह कितनी दिल को दुखाने वाली घटना है। हमारे एरिया में एक आदिवासी महिला को उसके पिता ने गरीबी के कारण बेच दिया और दिल्ली में उसकी शादी हुई। उसका पति उस महिला को नशे में बहुत मारता है और बाद में उसे जलाने के लिए रस्सी में बांध दिया। उस महिला के पति का बड़ा भाई… (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन): आप उदाहरण छोड़िए, प्वाइंट पर बात कीजिए।

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी (बालासोर): ठीक है महोदय। बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। डेढ़-दो साल पहले मैंने कोविड के समय देखा कि एक पुलिसकर्मी ड्रग्स कारोबार से कनेक्टेड था। ड्रग्स व्यापारी बोलता है कि मैंने पुलिस को तीन लाख रुपया दिया। पांच लाख रुपये में फाइनल बात हुई थी। मैंने बाकी दो लाख रुपया नहीं दिया, इसलिए मैंने डीजी को लैटर विडियो क्लीप के साथ दिया। एसपी को भी लैटर और विडियो क्लीप दी। उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया लेकिन अरेस्ट नहीं किया गया। मैंने बार-बार प्रेशर डाला। यदि पुलिस संलिप्त हो जाएगी, तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? कॉमन मैन के लिए अलग प्रैक्टिस और वीआईपी लोगों के लिए अलग प्रैक्टिस, यह डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। राज्यों में क्या स्थिति है, यह हम जानते हैं। चुनाव के समय शराब बांटना बहुत खतरनाक स्थिति है।

माननीय सभापति : धन्यवाद, आप बैठ जाइए।

श्री बैन्नी बेहनन।

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी (बालासोर): महोदय, केवल एक मिनट का समय दीजिए।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

There is a strict direction from the hon. Speaker that by sharp 2 pm, we have to conclude the debate. Thereafter, the hon. Home Minister would reply to the debate. More than 20 speakers are there. Two to three minutes each is the allotted time. Kindly cooperate with the Chair.

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी (बालासोर): सभापति जी, नशे के कारण डाक्टर ऑपरेशन टेबल पर अनर्थ कर देता है। ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है, टीचर गलत काम करता है, पुलिस ड्यूटी पर सो जाती है। नशे की प्रस्तुति भी विषाक्त तरीके से होती है। गैरकानूनी ड्रग्स कारोबार से ब्लैकमनी आती है और देश की सुरक्षा को भी खतरा पैदा होता है। इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। नए भारत के निर्माण के लिए हमारे बुद्ध, गांधी जी, विवेकानंद जी, हमारे मान्यवर नरेन्द्र मोदी और मान्यवर गृह मंत्री जी ने जो स्वप्न देखा है, इस भारत को नशा मुक्त करना चाहिए और इसके लिए एक सैंट्रल लेजिस्लेशन होना चाहिए। … (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति : श्री बैन्नी बेहनन।

1257 hours

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, since yesterday, we have been discussing this subject. Many hon. Members have expressed their views and concern, which I share. This discussion itself gives a strong message that our Government and the august House are concerned about the subject.

Substance abuse is a global concern that has been negatively impacting the physical and psychosocial well-being of the population. In India, over the past few years, the prevalence of drugs and illicit liquor has increased. Alcohol is the most commonly used psychoactive substance in India, followed by cannabis and opioids, with 16 crore, 3.1 crore, and 2.26 crore individual users, respectively.

The use of drugs and alcohol has a negative impact on a community, and it is well recognized that substance abuse is a major cause of premature death and disease. According to the Center for Disease Control and Prevention (CDC), since 1999, drug overdoses alone have resulted in the deaths of about one million people in India.

According to data from the Narcotics Control Bureau (NCB), ten crore people in the country are currently dependent on various narcotics. There are reportedly 1.58 crore children in the nation that are addicted to drugs between the ages of 10 and 17 as well. The sad fact is that it is not only the narcotic substance users that are being affected by substance abuse, in fact, women and children in the families are also socio-economically and psychologically severely impacted by the substance abuse. It is estimated that 5.7 crore people are affected by alcohol addiction and 25 lakhs by cannabis addiction dependence.